

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-cc.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 675

हिलसा, दिनांक 10-05-2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

Avipriyansh Construction Pvt. Ltd,
House No-1 Gabara Par,
P.O+P.S- Hilsa, Dist- Nalanda.

विषय:-

शीर्ष-MMGSY-GEN योजनान्तर्गत Ekangar Bihar Road to Vill Saidali Bigha to Ramchandarpur Master House पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्रांक-622 दिनांक-04.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि शीर्ष-MMGSY-GEN योजनान्तर्गत Ekangar Bihar Road to Vill Saidali Bigha to Ramchandarpur Master House पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा पूर्ण कराया गया है। एकरारनामा के अनुसार उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य भी आपके द्वारा किया जाना है। विभागीय निदेशानुसार पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण की जाँच BRRMS Mobile App से की गई, MIS के आधार पर उक्त पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य की जाँच में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण असंतोषजनक बताया गया है। बार-बार लिखित एवं मौखिक निदेश दिये जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-662 दिनांक-04.05.2024 के द्वारा आपका नाम डीबार करने की अनुशंसा भी किया जा चुका है।

अतः आपको अंतिम निदेश दिया जाता है पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सुचित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा वाध्य होकर आपके एकरारनामा को विखंडित कर आपके निबंधन को काली सूची नाम में दर्ज करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी जिसका पूर्ण जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

कृपया इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

हिलसा / दिनांक 10-05-2024

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 675

संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। आपको आदेश दिया जाता है कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर त्रुटियों का सुधार यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें, अगर संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाता है तो अंतिम मापी करते हुए मापी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ताकि एकरारनामा विखंडित करते हुए कालीसूची में नाम दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जा सके। ऐसा नहीं किये जाने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा